न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 98/2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 मादरमल उर्फ बहादुर सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र हणमान जाट निवासी जैता की ढ़ाणी तन खटून्दरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती भगवानी बेवा सुणाराम।
2 गणपत राम पुत्र सुणाराम।
3 किशनलाल पुत्र सुणाराम।
4 भींवाराम पुत्र सुणाराम।
5 बालचन्द पुत्र सुणाराम।
6 दीपक उम्र 15 वर्ष सुणाराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती भगवानी देवी।
7 मंगली देवी पुत्रियां सुणाराम।
8 ममता देवी पुत्रियां सुणाराम।
9 सुमन उम्र 16 वर्ष पुत्री सुणाराम।
10 प्रीति उम्र 12 वर्ष पुत्री सुणाराम नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती भगवानी देवी।
11 भोलूराम पुत्र कानाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम झुंपा तन खटून्दरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12 हणुमान पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी जैता की ढ़ाणी तन खटून्दरा तहसील खण्डेला जिलासीकर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.90
मु.नं.237/1989 बउनवानी सुणाराम आदि बनाम
हणुमान न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर
अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

उपस्थित

1. श्री रामेश्वर लाल बिजारनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–17.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा वाद संख्या 237/1989 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1990 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10 के पति व पिता सुणाराम तथा रेस्पोडेंट संख्या 11 ने रेस्पोडेंट संख्या 12 के विरूद्व न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार, हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया

कि ग्राम सांवतपुरा उर्फ जैता की ढ़ाणी की भूमि खसरा नम्बर 103 पुराने जिसके नये खसरा नम्बर 158 रकबा 1.33 हैक्टेयर के उतरी हिस्से 1.13 हैक्टेयर पर वादीगण का पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त है, शेष 0.20 हैक्टेयर पर प्रतिवादी काबिज काश्त है। वादीगण ने अपने कब्जेशुदा भूमि की सींव डोली लगाकर बना रखी है इसलिए वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे, जिसका जवाब प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 12 के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया व वाद वादीगण की शहादत ग्राम सांवतपुरा उर्फ जैता की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 158 रकबा 1.33 हैक्टेयर में से 1.13 हैक्टेयर का खातेदार वादीगण को घोषित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के निर्णय पारित कर गम्भीर कानून भूल की है प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में वाद खारिज होने योग्य था। प्रतिकुल कब्जे का कोई साक्ष्य , अभिवचन पत्रावली पर नही था वाद प्रस्तुत करने के दिन प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 12 खातेदार नही था अपीलांट को विचारण न्यायालयों में पक्षकार नही बनाया गया। अपीलांट विचाराधीन निर्णय व डिक्री के नाबालिग था अपीलांट को विवादित भूमि खसरा नम्बर 103 जरिये दान पत्र प्राप्त हुई है। विचारण न्यायालय का निर्णय एक तरफा मनमाना एवं विधि विरूद्व है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में निर्णय के समय राजस्व रिकार्ड में अपीलांट खातेदार नही था इस लिए पक्षकार नही बनाया वादी काफी लम्बे समय से काबिज काश्त चले आ रहे है जिसका कोई खण्डन पेश नही हुआ है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत अभिवचन साक्ष्य का अवलोकन एवं विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील अपीलांट खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था। इस न्यायालय में प्रस्तुत रजिस्टर्डड दानलेख दिनांक 21.10.1982 के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित भूमि खातेदार नाथुराम द्वारा अपीलांट के हक में दान किया गया है। वरवक्त दान पत्र अपीलांट नाबालिग था विचारण न्यायालय में प्रतिवादी हणमान का कोई जवाब संलग्न नही है। प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में नाथु तत्कालीन खातेदार का नाम दर्ज है। अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य विचारण न्यायालय की पत्रावली में नही है। तहसीलदार भूमिधारक को भी विचारण न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया। विचारण न्यायालय में केवल मात्र वादी भोलुराम की मौखिक साक्ष्य को आधार बनाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं अपील में प्रस्तुत रजिस्टर्डड दान पत्र से अपीलांट एवं तहसीलदार भूमिधारक प्रकरण में आवश्यक पक्षकार साबित होते है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मूल वाद में अपीलांट एवं तहसीलदार भूमिधारक को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करें, प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त करें, उभयपक्ष के वाद एवं जवाब कथन के आधार पर तनकीयात कायम करें, उभयपक्ष की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्राप्त करें तदुपरान्त उभयपक्ष को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सुनकर विधि अनुसार गुणावगुण पर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनाक 12.11.2018 को उपस्थिति होवें।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

17.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर